UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

☏ / Fax- + 05966–220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

पत्रांकः– 402 / 1 सी0 दिनांकः 28 / 02 / 2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 28.02.2026 को अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर *''पहाड़ी सड़क पर काल बने रफ्तार टूटा पैरापिट– बेकाबू हो गई थी कार स्टेरिंग पर नियंत्रण नहीं रख पाया चालक एवं चुराड़ी बैण्ड के पास टूटा पैरापिट ... सिस्टम की अनदेखी आई सामने''* के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि दिनांक 26.02.2028 को रा0मा0 सं0 309 ए के किमी0 179 (हे0मी0 0–2) (निकट चुराड़ी बैण्ड ताकुला) पर स्थित मोड़ पर दुर्घटना घटित हुई है। दुर्घटनाग्रस्त कार बसोली से अल्मोड़ा की ओर जा रही थी, जिसमें स्थानीय जानकारी से ज्ञात हुआ है कि उक्त ब्रेजा कार में चालक सहित आठ सवारी थी, परन्तु चुराड़ी बैण्ड पर असंतुलित होकर मार्ग के दांयी ओर खड्ड की ओर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 27.02.2028 को मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल पर मार्ग की चौड़ाई 7.40 से 8.00 मी0 के मध्य है। इसके अतिरिक्त मोड़ पर 12.50 मी0 चौड़ाई है। खड्ड साइड में क्रैश बैरियर मौके पर स्थित है। परन्तु लगभग 4 मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त है। मार्ग पैचलेस है एवं आवागमन हेतु सुरक्षित है। यह संज्ञान में लाना अत्यन्त आवश्यक है कि दुर्घटना का कारण संभवतः क्षमता से अधिक सवारियों का होना एवं ओवर स्पीड हो सकता है एवं कार बसोली से अल्मोड़ा की ओर जा रही थी, अतः वाहन को यातायात के नियमानुसार मार्ग के बांयी ओर अर्थात हिल साइड में चलाना चाहिए था। परन्तु दुर्घटना स्थल पर कार चुराड़ी बैण्ड के पास मार्ग के दांयी ओर जाकर (Wrong Side) दुर्घटनाग्रस्त हुई है।

परन्तु अमर उजाला अखबार में प्रकाशित खबर *''चुराड़ी बैण्ड के पास टूटा पैरापिट ... सिस्टम की अनदेखी आई सामने''* से प्रतीत हो रहा है कि पैरापिट टूटने के कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई है। जिसके फलस्वरूप सिस्टम की लापरवाही से तीन लोगों की मौत का कारण बन गई। उक्त स्थान पर टूटे हुए पैरापिट का एक फोटोग्राफ भी खबर के साथ प्रकाशित किया गया है। जबकि उक्त स्थल पर कोई भी पैरापिट क्षतिग्रस्त नहीं है। अतः उक्त प्रकाशित खबर नितान्त भ्रामक एवं तथ्यहीन है एवं सम्बन्धित संवाददाता द्वारा स्थल या मौके की जानकारी के बगैर इस प्रकार के खबर को प्रकाशित कर जहां एक ओर विभाग की छवि को धूमिल किया है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि उक्त मार्ग को दो–लेन में चौड़ीकरण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है। जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है। मार्ग निर्माण हेतु निविदा प्राप्त कर ली गई है। जिसकी वित्तीय निविदा दिनांक 03 मार्च, 2026 को प्राप्त की जानी है।

संलग्नक :– प्रकाशित खबर दिनांक 28.02.2026

28/2/26

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्रकाशित खबर के खण्डन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपिः– प्रबन्धक / संपादक अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आपके अखबार में प्रकाशित उक्त खबर के क्रम में उपरोक्तानुसार विभागीय तथ्यों को निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

28/2/26

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।